

## अन्तिम डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 09/2020

उनवान

- (1) कचरा पिता मंगलिया हरमोर जाति भील निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
- (2) बादरा पिता मंगलिया हरमोर जाति भील निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

बनाम

- (1) शंकर पिता मंगलिया हरमोर जाति भील निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
- (2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

-: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 12.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण राष्ट्रीय लोक आदलत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 85 (नई) 65 (पुरानी) के कुल किता 07 रकबा 0.98 हे० भूमि का भूमि धारी तहसीलदार, गढी की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार श्री कचरा पिता मंगलिया भील के नाम सर्वे नम्बर 4709 रकबा 0.13 हे०, सर्वे नम्बर 4710 रकबा 0.15 हे०, सर्वे नम्बर 4708/1 रकबा 0.02 हे०, सर्वे नम्बर 4697/1 रकबा 0.04 हे० कुल किता 4 रकबा 0.34 हे०, श्री बादरा पिता मंगलिया भील के नाम सर्वे नम्बर 4081/2 रकबा 0.05 हे०, सर्वे नम्बर 4082 रकबा 0.16 हे०, सर्वे नम्बर 4708/3 रकबा 0.03 हे०, सर्वे नम्बर 4697/2 रकबा 0.05 हे० कुल किता 4 रकबा 0.29 हे०, श्री शंकर पिता मंगलिया भील के नाम सर्वे नम्बर 4081/1 रकबा 0.04 हे०, सर्वे नम्बर 4711 रकबा 0.25 हे०, सर्वे नम्बर 4708/3 रकबा 0.02 हे०, सर्वे नम्बर 4697/3 रकबा 0.04 हे० कुल किता 4 रकबा 0.35 हे० भूमि पृथक-पृथक दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिंग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वकशरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 12.3.2022 को जारी की गई।

(हनुमान सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
गढी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
गढी, जिला बांसवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 09/2020

उनवान

- (1) कचरा पिता मंगलिया हरमोर जाति भील निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
- (2) बादरा पिता मंगलिया हरमोर जाति भील निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

- (1) शंकर पिता मंगलिया हरमोर जाति भील निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
- (2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 12.3.2022

प्रकरण राष्ट्रिय लोक अदालत में पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री की पालना में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर दोनों पक्षों के बकुलाय द्वारा अपनी सहमती के रूप में सुक्ष्म हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय/अन्तिम डिक्री जारी की जाने निवेदन किया गया। भूमिधारी, तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार श्री कचरा पिता मंगलीया भील के नाम सर्वे नम्बर 4709 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 4710 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 4708/1 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 4697/1 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.34 हे0, श्री बादरा पिता मंगलीया भील के नाम सर्वे नम्बर 4081/2 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 4082 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4708/3 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 4697/2 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.29 हे0, श्री शंकर पिता मंगलीया भील के नाम सर्वे नम्बर 4081/1 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 4711 रकबा 0.25 हे0, सर्वे नम्बर 4708/3 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 4697/3 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.35 हे0 भूमि पृथक-पृथक दर्ज करने का निर्णय जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को जारी किया गया।

(हनुमान सिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाडा

आदेश

भूमिधारी, तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार श्री कचरा पिता मंगलीया भील के नाम सर्वे नम्बर 4709 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 4710 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 4708/1 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 4697/1 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.34 हे0, श्री बादरा पिता मंगलीया भील के नाम सर्वे नम्बर 4081/2 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 4082 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4708/3 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 4697/2 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.29 हे0, श्री शंकर पिता मंगलीया भील के नाम सर्वे नम्बर 4081/1 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 4711 रकबा 0.25 हे0, सर्वे नम्बर 4708/3 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 4697/3 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.35 हे0 भूमि पृथक-पृथक दर्ज करने का आदेश जारी किया जाकर इस आश की अन्तिम डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाडा

2.3.22

पत्रावली शक्तिशाली लोक न्यायालय में क्षेत्र  
विकास समितियों द्वारा प्रस्तावित विकास प्रकल्प  
के काम में अचूकता की माइसरी क्षेत्र में  
निर्वाह दिवसी प्रकल्प से जारी कर पत्रावली  
के माध्यम से जारी है।

सदस्य  
लोक अदालत  
तालुका विधिक सेवा समिति अर्ध

सुषमण्ड अधिकारी अध्यक्ष  
महो, जिला वॉलुका विधिक सेवा समिति  
जिला न्यायाधीश एवं न्यायिक अधिकारी  
महो जिला पंचायत (राज)

  
  
12/3/22